

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)**

(फोन- 07574-253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

**परिपत्र**

क्रमांक 55 / दो-1-8 / 19

होशंगाबाद दिनांक 11.01.2021

प्रति,

- (1) समस्त न्यायालयों के पीटासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों में नियमित सीमित भौतिक सुनवाई (Regular Limited Physical Hearing) किये जाने के संबंध में जारी दिशा निर्देश।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक ए/62 जबलपुर दिनांक 09.01.2021


---00---

उपरोक्त विषयानुसार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व में जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तारतम्य में सभी विद्यमान तथ्यों को विचार में लेते हुए पूर्व परिपत्र क्रमांक ए/3120 जबलपुर दिनांक 11.12.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 11.01.2021 से 15.01.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ायी गयी है, जिसमें पूर्व परिपत्र क्रमांक डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020, क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020, बी/2655 दिनांक 24.07.2020 एवं अन्य संबंधित परिपत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों/परिवार न्यायालयों में नियमित सीमित भौतिक कार्य (Regular Limited Physical Functioning) करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित परिपत्र के आलोक में नियमित सीमित भौतिक कार्य (Regular Limited Physical Functioning) करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1728 / दो-1-8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 12.12.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 11.01.2021 से 15.01.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ायी जाती है।

यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र एवं पूर्व परिपत्रों तथा इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1728 दिनांक 11.12.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावे।

**संलग्न-** माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का परिपत्र क्रमांक ए/62 जबलपुर दिनांक 09.01.2021



(जे.पी. सिंह)

विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)  
वास्ते- जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
होशंगाबाद

**प्रतिलिपि,**

- (1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)
- (6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
- (7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)
- (8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (9) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (10) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

वास्ते- जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
होशंगाबाद(म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR  
// CIRCULAR //

No. A/62

Jabalpur dated 09/01/2021

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, has been pleased to issue directions regarding functioning of the Subordinate Courts as follows:-

In continuation of Circular No. A/3120 dated 11.12.2020, the regular limited physical functioning for the **Subordinate Courts** is hereby extended from 11<sup>th</sup> January, 2021 till 15<sup>th</sup> January, 2021, as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020, Circular No. Q-12 dated 4<sup>th</sup> May 2020, Circular No. B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice

  
(RAJENDRA KUMAR VANI)  
REGISTRAR GENERAL